न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 01/2020

निर्णय दिनाँक :- 30.03.2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. अम्बाबाई पत्नि मुकेश ब्राह्मण निवासी – चोरवड़ी तह- भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)		1. तहसीलदार भूपालसागर

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

* निर्णय *

वकील प्रार्थिया की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:-

(1) यह है कि प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम चोरवड़ी में स्थित है जिसके आ० नं० 1396 रकबा 0.08 हैक्ट०, आ० नं० 1397 रकबा 0.11 हैक्ट०, आ० नं० 1398 रकबा 0.19 हैक्ट० कुल किता 03 कुल रकबा 0.38 हैक्ट० है। जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रेकर्ड है।

(2) यह है कि प्रार्थिया ने उक्त आराजियात दिनाँक 24.10.2013 को शंकरलाल पिता कालुराम मेनारिया ब्राह्मण से क्रय की और उस बहनामे के अनुसार दिनाँक 06.12.2013 को नामान्तकरण संख्या 445 के अनुसार शंकरलाल पिता कालुराम 1/4 की बजाय श्रीमति अम्बाबाई पत्नि मुकेश कुमार 1/4 दर्ज की है लेकिन वर्तमान जमाबंदी संवत 2072-75 तक में प्रार्थिया का नाम अम्बाबाई पत्नि मुकेश कुमार जाट दर्ज हो गया है जिसे बहनामे व ना० सं० 445 के अनुसार दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थिया ने निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.01 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार भूपालसागर को सम्मन जारी किया गया एवं तहसीलदार भूपालसागर द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जिसमे बताया गया कि मुताबिक पंजीबद्ध विक्रय-पत्र

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

— लगातार —

Scanned with CamScanner

पंजीयन दिनॉक 24.10.2013 के अनुसार प्रार्थिया का नाम शुद्ध किया जाना उचित है। उक्त प्रार्थना-पत्र में प्रार्थिया का नाम अम्बा बाई पत्नि मुकेश कुमार जाट के स्थान पर अम्बा बाई पत्नि मुकेश कुमार ब्राहाण किया जाता है तो भूमिधारी तहसीलदार भूपालसागर को कोई आपत्ति नही है।

हमने तहसीलदार भूपालसागर के जवाब प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थिया वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी तत्पश्चात प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि निर्णय में वर्णित वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रेकर्ड में अम्बाबाई पत्नि मुकेश कुमार जाट के स्थान पर अम्बाबाई पत्नि मुकेश कुमार ब्राहाण मेनारिया दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(हस्ताक्षर) 30.3.21
(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.01 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner